MR. SPEAKER: Mr. Deo, please listen to me. I tell you that this matter relates to the law and order of the State.

SHRI P. K. DEO: Sir, this is a breakdown of the Constitution. The death of Parsuram Satpathi, journalist was caused under the wheel of congress Jeep DHA 9836 driven by Juba Congress workers on 29th November 1974.

MR. SPEAKER: Again I tell you that this is a law and order problem which is the state subject.

SHRI P. K. DEO: Sir, from F.I.R. filed in Bolangir P.S. on 27th November 1974, we learn that on 24th November 1974 evening when Shri Parsuram Satpathy was coming, he met Shri Bikramananda Bohidar on the road. ....

MR. SPEAKER: Will you please sit down? This is a state matter.

SHRI P. K DEO: He halted him and told him that his life was not safe and that he was passing this information secretly to Shri Satpathy that murderers from outside like Bombay and Calcutta might be brought to kill him. As Shri Bohidar is a member of the Congress Party there may be some truth. Please take necessary action and give protection.

MR. SPEAKER: Mr. DEO, this is a State matter I cannot allow you.

SHRI D. K. DEO: Sir, the conspiracy was hatched to kill him when Deputy Minister was present in Bolangir.

MR. SPEAKER: I tell you again that this is a state matter relating to the law and order of the State.

SHRI P. K. DEO: I only invite your attention to this that a calculated murder is committed. The jeep has been impounded and the Congress workers have been arrested. May I request you to direct the Minister of Home Affairs to make a statement?

MR SPEAKER: Kindly sit down. Why do you raise matters which concern the law and order of the State? You do not listen to me.

श्री मोहम्मद इस्माइल (बेरकपुर) : अध्यक्ष जी, मैंने तीन दिन पहले मशन किया था (व्यवधान) मीटिंग के बाद हमारे आफिस को जला दिया गया दो बजे रात को 10 आदमी वहां पर थे। यह हो रहा है श्रीमती सतपथी के राज्य में।

MR SPEAKER: I have repeatedly told you all that this is not permissible

(*Interruptions*)

MR SPEAKER: Why do you interrupt the proceedings? Kindly sit down. You are not called. Now, Mr. Madhu Limaye....

13.25 hrs. . .. .

RE. VIOLATION OF ARTICLE 284 OF THE CONSTITUTION

श्री मधु लिमये (बांका) : अध्यक्ष महोदय यह मामला मैं विगत सत्र में उठाना चाहता था, लेकिन बारबार मुझे कहा गया कि अभी नहीं बाद में उठाइयेगा। यह मैं

.. ..

संविधान की धारा 284 के तहत उठाना चाहता हूं। इस में यह कहा गया है

"284 All moneys received by or leposited with—

(a) any officer employed in connection with the affairs of the Union or of a State in his capacity as such, other than revenues or public moneys raised or received by the Government of India or the Government of the State, as the case may be, or

(b) any court within the territory of India to the credit of any cause, matter account of persons,

shall be paid into the public account of India or the public account of the State, as the case may be"

अध्यक्ष महोदय : सरकार के दो खाते होते हैं, एक कंसालीडेटड फंड आफ इंडिया और कंसालीडेटड फंड आफ दी स्टेट और दूसरा खाता पब्लिक अकाउन्ट आफ इंडिया और पब्लिक अकाउन्ट आफ दी स्टेट। अब राज्यो के मुख्य मंत्रियो की ओर प्रधान मंत्री को उन के रिलिफ फंड के लिए, प्राइममिनिस्टर रिलिफ फंड और चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड के नाम से, बहुत सारा पैसा मिलता है। और आडिटर जनरल के साथ इसके बारे मे मेरा एक अर्से से पत्र-व्यवहार चल रहा है। श्रीमती मृणाल गोरे, जो हमारे दल की महाराष्ट्र असेम्बली मे सदस्या हैं, उन का भी पत्र-व्यवहार चल रहा है। लेकिन अभी तक कोई संतोषजनक उत्तर हमे नही मिला। मैंने यह जानना चाहा कि क्या प्रधान मंत्री और मुख्य मंत्रियो का यह कर्तव्य नही है कि रिलीफ के नाम पर उन को जो पैसा मिलता है, पब्लिक सर्वेन्ट होने के नाते, वह सारा रुपया पब्लिक अकाउन्ट आफ इंडिया या स्टेट के खाते मे जमा होना चाहिए। अभी इन खातो का कोई हिसाब किताब पार्लियामेंट या विधान सभा के सामने नही दिया जाता है। यह करोडो की रकम होती है और सभी राज्यो और केन्द्र की रकम को अगर मिला दिया जाये तो अरब से भी ज्यादा ऊपर यह रकम चली जायेगी। संविधान लागू होने के बाद अभी भी इस के बारे मे आडिटर जनरल सो रहे है। प्रधान मंत्री खुलासा करने के लिए तैयार नही है। मै कई बार इस के बारे मे नोटिस दे चुका हू। क्या आप संसदीय कार्य मंत्री को आदेश देंगे कि धारा 284 का जो 24 साल से उल्लंघन हो रहा है क्या इस उल्लंघन को रोकने के लिए कोई सफाई या स्पष्टीकरण मंत्री महोदय देंगे। भविष्य मे पब्लिक अकाउन्ट आफ इंडिया, राज्य और केन्द्र के खातो मे यह रुपया जमा होना चाहिए और उन का आडिटेड स्टेटमेंट आफ आकउन्ट बजट के समय हम लोगो को मिलना चाहिए। करोडो रुपय का घोटाला इसमे हो रहा है।

MR SPEAKER· I am going to ask him